न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः के.आर.खौड़, आर.ए.एस.)

प्रार्थी

भावाराम पुत्र मगाजी, जाति–कलबी, निवासी–मालगांव, तहसील– रेवदर, जिला–सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

(1) ग्राम पंचायत, गुलाबगंज जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत, गुलाबगंज, तहसील–रेवदर

(2) फतुदेवी पत्नि रघुनाथजी, जाति– कलबी, निवासी– मालगांव, तहसील–रेवदर, जिला– सिरोही

पंचायत निगरानी संख्याः 92/2017

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री कलीम अव्वल, प्रार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री हंसराज पुरोहित, अप्रार्थीगण की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 11 जनवरी,, 2023**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, गुलाबगंज द्वारा प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 24.8.1988 के तहत अप्रार्थी फतुदेवी पत्नि रघुनाथजी, जाति– कलबी, निवासी– मालगांव के पक्ष में जारी पट्टा (जिस पर पट्टा नंबर अंकित नही है) को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री हंसराज पुरोहित उपस्थित हुये एवं अप्रार्थीगण की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया।

(3) बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत गुलाबगंज ने उसके पंचायत के गांव मालगांव में प्रार्थी के मालिकी कब्जे एवं भोगवटे के भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या 2 (फतुदेवी) के हक में एक 30x50 वर्गफीट का बिना नम्बरी, बिना मिसल संख्या व बिना पुष्टी के प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 24.8.1988 के तहत अविधिक रुप से पट्टा जारी किया है। ग्राम पंचायत, गुलाबगंज ने अप्रार्थी फतुदेवी के हक में बिना नम्बरी पट्टा जारी करने के पूर्व न तो मौके का कोई निरीक्षण किया और न ही पट्टा जारी करने के पूर्व कोई मिसल खोलकर कार्यवाही की है, उक्त पट्टे पर कोई पट्टा संख्या या मिसल संख्या अंकित नही हैं, जिससे यह स्पष्ट हैं कि गैर कानूनी तौर पर पट्टा जारी किया गया है। अप्रार्थी फतुदेवी को जिस स्थान का पट्टा जारी किया गया है. वह गांव मालगांव के रमदा माता मंदिर के पास नयी आबादी में प्रार्थी के पट्टाशुदा मकान से लगता हुआ प्रार्थी के कब्जाशुदा मालकी का भूखण्ड संख्या 30 हैं, जिस पर प्रार्थी का कब्जा सन् 1984 से ही अनवरत बेरोकटोक के शांतिपूर्ण सर्वजन की जानकारी में आया हुआ है, जिस भूखण्ड पर प्रार्थी का बाड़ा व कच्चा निर्माण पिछले करीब 30 वर्षों से भी ज्यादा समय से किया हुआ है, एवं करीब 30 से भी अधिक सालों से उक्त भूखण्ड पर प्रार्थी काबिज है। प्रार्थी के कब्जेशुदा एवं मालकी के उक्त भूखण्ड का नाप उत्तर में 50 फीट, दक्षिण में 50 फीट, पूर्व में 50 फीट व पश्चिम में 50 फीट फीट कुल क्षेत्रफल 2500 वर्गफीट है, [illegible] उत्तर में प्रार्थी का पक्का मकान, दक्षिण में आम रास्ता, पूर्व में पडत भूमि [illegible] अरठ[illegible]ोरिया के जाव व पश्चिम में रास्ता 6 फीट की गली है। अप्रार्थी संख्या–2 [illegible] पंचायत, गुलाबगंज से

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:32:58 IST
Reason: SelfAttested

.....लगातार पेज दो

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

मेलमिलाप कर प्रार्थी के कब्जे मालकी के उक्त भूखण्ड पर जबरन अवैध रूप से कब्जा करने की कोशिश करने लगा, जिस पर प्रार्थी द्वारा रोके जाने पर उसने प्रार्थी की उक्त भूमि व बाड़े को उसकी बताने लगा, तथा झगड़े फिसाद करने लगा, जिसकी प्रार्थी द्वारा पुलिस रिपोर्ट भी की गयी जिसमें अप्रार्थी फतुदेवी के विरुद्ध बाद अनुसंधान सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा उपरोक्त भूमि बाबत उसके नाम से पट्टा होने व पट्टा की फोटो प्रति सिविल न्यायालय रेवदर में पेश कर प्रार्थी के विरूद्ध दावा किया, जिसके समन/नोटिस प्रार्थी भावाराम को प्राप्त होने पर न्यायालय में जाकर देखने पर प्रार्थी को सर्वप्रथम उक्त भूमि का प्रार्थी द्वारा फर्जी पट्टा बनवा लेने की जानकारी हुयी। यह कि प्रश्नगत पट्टा अवैध व फर्जी हैं, उपरोक्त पट्टा की ग्राम पंचायत गुलाबगंज के रेकर्ड में कोई मिसल ही नहीं बनाई गयी है तथा न ही पट्टे की प्रति के उपर कोई मिसल संख्या व पट्टा संख्या अंकित है तथा न ही विक्रय विलेख कि दिनांक व पुष्ठीकरण आदेश संख्या अंकित हैं, जिससे उपरोक्त पट्टा जो ग्राम पंचायत गुलाबगंज द्वारा जारी किया गया हैं। ग्राम पंचायत, गुलाबगंज के ग्राम विकास अधिकारी द्वारा इस न्यायालय द्वारा प्रश्नगत पट्टे से संबंधित रेकर्ड तलब किये जाने पर पत्र क्रमांक 469 दिनांक 04.12.2020 से इस न्यायालय को प्रेषित पत्र में प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 24.8.1988 के अनुसरण में फतुदेवी पत्नि रघुनाथ जी कलबी, निवासी– मालगांव को जारी पट्टे से संबंधित रेकर्ड ग्राम पंचायत, गुलाबगंज के पुराने रेकर्ड में नही है। प्रश्नगत बिना नम्बरी पट्टा पर मौका कमेटी के सदस्यों / अध्यक्ष के कोई हस्ताक्षर भी नहीं हैं। प्रश्नगत पट्टा पर तथाकथित सरपंच पदम सिंह के हस्ताक्षर दो स्थानों पर अलग–अलग व कूटरचित हैं तथा उक्त पट्टा प्रस्ताव संख्या 02 के अनुसरण में दिनांक 24.8.1988 को हस्ताक्षरित किया गया बताया जाकर दिनांक 25.08.1989 को एक वर्ष के बाद में जारी किया जाना बताया जा रहा है, जबकी उक्त पट्टे पर विक्रय विलेख की दिनांक ही अंकित नहीं हैं, जिससे भी प्रथम दृष्टया अवलोकन मात्र से ही उक्त पटटा फर्जी व कूटरचित होने से खारिज काबिल के हैं। मौके का न तो मौका कमेटी द्वारा निरीक्षण किया गया व न ही मौका कमेटी गठित की गयी तथा न ही आपत्ति नोटिस जारी किये गये एवं उससे पहले प्रार्थी का बाड़ा व कब्जा वादग्रस्त भूमि पर होने से उक्त भूमि खाली ही नहीं थी, जिससे उसका पट्टा बनाया जाना या मौका देखा जाना भी असंभव व अवैध है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, गुलाबगंज के तथाकथित प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 24.8.1988 के तहत अप्रार्थी फतुदेवी के पक्ष में दिनांक 25.8.1989 को जारी पट्टा जिस पर पट्टा नंबर व मिसल नंबर अंकित नही है को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत गुलाबगंज सर्किल के ग्राम, मालगांव में अप्रार्थी संख्या–2 के हक में आबादी भूमि के भूखण्ड को आम निलामी में विकय किया था। तत्पश्चात् ग्राम पंचायत गुलाबगंज की ओर से पंचायत के प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 24.08.1988 के अनुसरण में अप्रार्थी श्रीमति फतुदेवी पत्नि श्री रघुनाथजी कलबी के हक में नियमानुसार पट्टा जारी किया था प्रार्थी भावाराम का यह कथन सर्वथा मिथ्या है कि पंचायत ने प्रश्नगत पट्टा बिना नम्बरी बिना मिसल बनाये जारी किया हो। ग्राम पंचायत, गुलाबगंज द्वारा नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है। प्रार्थी भावाराम को मौके पर वर्ष 1984 से कोई कब्जा नही है। प्रश्नगत पट्टा पंचायत गुलाबगंज के प्रस्ताव संख्या 2/24.8.88 के अनुसरण में भुखण्ड संख्या 30 का नियमानुसार जारी किया गया था। ग्राम पंचायत, गुलाबगंज ने अप्रार्थी फतुदेवी को नीलामी में भूखण्ड का विक्रय कर भूखण्ड संख [illegible] पट्टा जारी किया है। वक्त पट्टा भूमि की निलामी अप्रार्थी संख्या– 2 का [illegible] रिक्त व खाली पडा था।

लगातार पेज तीन

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:32:58 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अप्रार्थी फतुदेवी ने सार्वजनिक निलामी में उक्त भूखण्ड संख्या 30 को क्रय किया है। प्रार्थी स्वयं का पट्टाशुदा भुखण्ड मकान का भूखण्ड संख्या 29 है, जो अप्रार्थी संख्या 2 दो फलुदेवी के भूखण्ड के उत्तर में आया हुआ है। प्रार्थीया फतुदेवी अपने भूखण्ड संख्या 30 पर मौके पर काबिज है, लेकिन प्रार्थी भावाराम ने अप्रार्थी फतुदेवी के भूखण्ड को जबरन हडपने की नियत से गलत तथ्यों के आधार पर निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया है। मौके पर प्रार्थी भावाराम के कब्जेशुदा भुखण्ड का नाप 50 बायत 50 कुल 2500 वर्गफीट नही है, बल्कि भुखण्ड संख्या 30 प्रार्थी भावाराम का नही होकर अप्रार्थी फतुदेवी के पट्टे स्वामित्व का है जिसका नाप 50 बाय 30 कुल 1500 वर्गफीट है। प्रार्थी भावाराम का प्रश्नगत भूखण्ड की मालकी व कब्जा नही है वरन् अप्रार्थी फतुदेवी का है, इसकी जानकारी वर्ष 1988 से आमजन व प्रार्थी भावाराम को है, जब उक्त भूखण्ड की आम निलामी पंचायत द्वारा की गयी थी। प्रश्नगत भूखण्ड प्रार्थी के मालकी या कब्जे का नहीं अप्रार्थी फतुदेवी स्वयं के पट्टे के भूखण्ड संख्या 30 की मालकीन है तथा उसका कब्जा है। ग्राम पंचायत, गुलाबगंज के पत्र दिनांक 05.4.2017 के द्वारा उक्त मुकदमें में अप्रार्थी फतुदेवी के पट्टे के संबंध में थानाधिकारी, पुलिस थाना अनादरा को प्रेषित रिपोर्ट में यह स्पष्ट रुप से अंकित किया है कि पुराना रेकर्ड कटा फटा हुआ है, इस कारण से रेकर्ड की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध नही करवाई जा सकती है, इससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, गुलागंज द्वारा विधिवत नीलामी प्रक्रिया के द्वारा भूखण्ड संख्या 30 अप्रार्थी फतुदेवी को विक्रय कर पट्टा जारी किया है। ग्राम पंचायत, गुलाबगंज द्वारा अप्रार्थी फतुदेवी के आवेदन पर वार्ड पंचों से मौके का दिनांक 20.2.2017 निरीक्षण करवाकर अप्रार्थी फतुदेवी के पक्ष में निर्माण करने की पंचायत बैठक दिनांक 20.2.2017 के प्रस्ताव संख्या 5 के अनुसरण में निर्माण की स्वीकृति जारी की गई है। ग्राम पंचायत, गुलाबगंज के सरपंच एवं वार्ड पंचो द्वारा पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर की उपस्थिति में दिनांक 31.10.2017 को मौके का निरीक्षण कर मौका फर्द दिनांक 31.10.2017 तैयार की थी जिसमें यह अंकित किया है कि प्रार्थी भावाराम द्वारा पट्टे से अधिक भूमि पर अतिक्रमण कर व दक्षिण दिशा में प्रार्थी फतुदेवी के भूखण्ड पर भी अतिक्रमण किया गया है। उक्त मौका फर्द में यह भी अंकित किया है कि प्रार्थी भावाराम द्वारा पश्चिम दिशा में 50 फीट के स्थान पर 60 फीट, दक्षिण दिशा में 30 फीट के स्थान पर 48 फीट पर अतिक्रमण किया है जिसमें भूखण्ड संख्या 30 जो अप्रार्थी फतुदेवी पत्नि रघुनाथजी की है व पंचायत की पडत भूमि पर अतिक्रमण किया है। अप्रार्थी संख्या 2 दो के मालकी एवम् कब्जे के भूखण्ड का प्रार्थी हितबद्ध व्यक्ति नही है। प्रार्थी का प्रश्नगत भूखण्ड के संबंध में कोई हित व स्वत्व नही है। प्रार्थी भावाराम स्वयं अतिक्रमी है। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत गुलाबगंज द्वारा जारी पट्टा विक्रय विलेख जो पंचायत के प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 24.8.1988 के अनुसरण में किया गया है, इस पट्टेशुदा भूखण्ड पर दिनांक 24.05.2016 से स्वत्व, मालकी एवम् कब्जा श्रीमति राजीदेवी धर्मपत्नि श्री राजेश कुमार कलबी, निवासी मालगाँव की है, इस आवासीय भूखण्ड क्षेत्रफल 30 बॉय 50 कुल 1500 वर्गफीट को पट्टाधारी श्रीमति फतुदेवी ने जरिये बक्षीशनामा अपनी पुत्रवधु श्रीमति राजीदेवी को बक्षीश कर मालकी व कब्जा सुपुर्द किया है। इस कारण से यह निगरानी आवेदन श्रीमति राजीदेवी कलबी, निवासी–मालगाँव को पक्षकार बनाये बिना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना कानूनन परिपोषणीय नही है। प्रार्थी स्वयं को उक्त निगरानी में प्रश्नगत भूखण्ड जो अप्रार्थी संख्या–2 के मालकी कब्जे एव[illegible]क्रमी दर्शाता है जिसके प्रश्नगत भूखण्ड के संबंध में प्रार्थी को कानू[illegible]की का सजृन नही होता है। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने वि[illegible]35 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित [illegible] भावाराम ने अप्रार्थी

.....पेज चार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:32:58 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

फतुदेवी के पट्टेशुदा भूखण्ड को हडपना चाहता है इस कारण से प्रार्थी ने यह निगरानी आवेदन 29 वर्षो के बाद जानबूझकर गलत कथनों के आधार पर प्रस्तुत किया है जो अतिशय विलम्ब से प्रस्तुत किया है, जो विधिक रुप से परिपोषणीय नही है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे। अप्रार्थीगण के कथनों के जवाब में प्रार्थी भावाराम के अधिवक्ता ने यह व्यक्त किया कि उक्त भूखण्ड संख्या 30 जो अप्रार्थी फतुदेवी अपना पट्टेशुदा होना बता रही है उस पर प्रार्थी का 1984 से लगातार कब्जा है, लेकिन अप्रार्थी फतुदेवी फर्जी पट्टे के आधार पर प्रार्थी के पुराने कब्जे भोगवटे के भूखण्ड संख्या 30 को हडपना चाहती है, इसलिये प्रार्थी भावाराम हितबद्ध व्यक्ति है।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, गुलाबगंज द्वारा पंचायत के प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 24.8.1988 के अनुसरण में अप्रार्थी फतुदेवी पत्नि रघुनाथ कलबी, निवासी— मालगांव के पक्ष में क्षेत्रफल 1500 वर्गफीट भूमि का पट्टा जारी किया गया है, जिसके पुस्त भाग पर सरपंच, ग्राम पंचायत गुलाबगंज व सचिव, ग्राम पंचायत, गुलाबगंज के हस्ताक्षर दिनांक 25.8.1989 को किया जाना अंकित है। इस पट्टे पर अंकित चतुर्दशी में पूर्व में पडत भूमि एवं अरठ कणेरिया के जाव, पश्चिम में रास्ता, उत्तर में प्लॉट नं. 29 व दक्षिण में प्लॉट होना दर्शाया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तोवजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि श्रीमतति फतुदेवी के निर्माण कार्य स्वीकृति हेतु आवेदन पर ग्राम पंचायत, गुलाबगंज द्वारा वार्ड पंचों से दिनांक 20.2.2017 को मौका निरीक्षण करवाया है, वार्ड पंचों की इस मौका निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 20.2.2017 में फतुदेवी का पट्टे अनुसार मौके पर कब्जा होना बताते हुए निर्माण स्वीकृति जारी करने की सिफारिश की गई है तथा ग्राम पंचायत, गुलाबगंज द्वारा बैठक दिनांक 20.2.2017 के प्रस्ताव संख्या 5 के द्वारा निर्माण स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम पंचायत, गुलाबगंज के भूखण्डों का नक्शें में भूखण्ड संख्या 29 व 30 को पास पास दर्शाया गया है, जिसमें से अप्रार्थी फतुदेवी का भूखण्ड संख्या 30 है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज ग्राम पंचायत, गुलाबगंज की मौका फर्द दिनांक 31.10.2017 में यह अंकित किया गया है कि मौके पर गांव के मोजूद व्यक्ति व वार्ड पंच के समक्ष भावाराम पुत्र मगाजी के द्वारा मकान निर्माण किये गये का नाप किया गया, जिसमें उक्त प्रार्थी के द्वारा पट्टे से ज्यादा निर्माण कर अतिक्रमण पाया गया एवं दरवाजा पूर्व की तरफ न खोलकर पश्चिम दिशा में खोला है व पश्चिम दिशा में आम गली जाने की 6 फीट पर भी प्रार्थी द्वारा अतिक्रमण पश्चिम दिशा में किया गया है एवं प्रार्थी ने दक्षिण दिशा में भूखण्ड श्रीमती फतुदेवी पत्नि रघुनाथ जी का है उस पर भी पतरे व बाड द्वारा अतिक्रमण किया गया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि विवाद मुख्य रुप से प्रश्नगत भूखण्ड पर कब्जे स्वामित्व के संबंध में है तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित भूखण्ड के संबंध में माननीय सिविल न्यायालय, क.ख, सिरोही में सिविल वाद विचाराधीन है, जो यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व से ही विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में, कब्जे स्वामित्व का निर्धारण सक्षम सिविल न्याायलय ही किया जा सकता है।

चूंकि अप्रार्थी फतुदेवी के पक्ष में पट्टा जारी होने के 28 वर्ष के बाद प्रार्थी भावाराम ने प्रश्नगत पट्टे को निरस्त कराने हेतु यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया है, जो अतिशय विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है एवं इस विलम्ब की अवधि के संबंध में प्रार्थी ने कोई युक्तियुक्त का[illegible]में, उपर्युक्त सभी तथ्यों के विवेचन के अनुसार प्रार्थी का यह निगरानी [illegible]रिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी का निगरा[illegible]नाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.03.21 15:32:58 IST
Reason: SelfAttested

(के.आर.खौड)
अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)